तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.09.18	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के तहत ग्राम सोवनिया के वर्तमान खसरा नम्बर 115/7 रकबा 15 बीघा भूमी का आवंटन दिनांक 02.04.1973 को किया गया, को निरस्त कराने हेतु विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात दिनांक 13.03.2014 को दर्ज रजिस्टर किया गया था एवं पत्रावली दिनांक 29.03.2016 को बहस हेतु नियत रखी गई। वक्त बहस दिनांक 23.08.2016 को पत्रावली अवलोकन से संज्ञान में आया कि आवंटन आदेश जिसे वकील प्रार्थी खारिज कराना चाहते है उसकी प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है एवं जिस फॉर्म की नकल पेश की गई उस पर रेकर्ड शाखा द्वारा रेकर्ड जमा नहीं होने का अंकन किया गया है। ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी को नकल आवंटन आदेश प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त दिवस दिनांक 23.08.2016 से आदिनांक 24.09.2018 तक प्रतिलिपी प्रस्तुत करने के 26 अवसर दिए जाने एवं लगभग 2 वर्ष व्यतित होने के पश्चात भी आवंटन आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई। जो कार्ट मेन्यूअल में प्रस्तुत प्रावधानों के विपरीत है। इस प्रकार वकील प्रार्थी द्वारा कोर्ट मेन्यूअल के खण्ड 2 के अध्याय 2 के नियम 30 की पालना नहीं किए जाने से उकत नियमों की पालना के अभाव में यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल की जाकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) जिला कलक्टर, पाली	